


23-9-2020

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही उपस्थित। गैरसायल महेन्द्र कुमार पुत्र कालुराम, जाति-सुर्यवंशी (कोरी), निवासी- नया बाजार, भाटकडा, सिरौही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित, जिन्होंने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज मुकदमों में गैरसायल को झूठा फंसाया गया है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है एवं प्राइवेट नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने या मारपीट करने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, गैरसायल वर्तमान में जुआ संबंधी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

.....लगातार

धरि. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.



महेन्द्र

Shm



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए
	<p>प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल महेन्द्र कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरौही में राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 138/01.8.2018, 155/21.6.2019 व 183 दिनांक 17.7.2019 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 155/21.6.2019 व 183/17.7.2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 155/21.6.2019 व 183/17.7.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 27.8.2019 व 21.9.2019 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।</p> <p>अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल महेन्द्र कुमार पुत्र कालुराम, जाति- सुर्यवंशी (कोरी), निवासी- नया बाजार, भाटकडा, सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, सिरौही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरौही की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरौही को प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, 23/08/2020 सिरौही</p>	

